the commodities, i.e. wheat (80.40%), rice (77.21%), sugar (89%) and kerosene (92.13%) as affordable.

(xv) In some of the States, the beneficiaries have indicated their local needs and preferences for commodities which they would like to be distributed through RPDS. For example, in Rajasthan and Gujarat there are local demands for inclusion of maize, jowar and bajra, etc. in Kerala demand of rice was more in lieu of wheat. In West Bengal the distribution of local variety of rice was preferred. The study has indicated that there is a strong need to consider the local situation (socio-economic and cultural) regarding preference of commodities. Area specific approach need to get due weightage in the scheme for addition and alteration of items under distribution.

(xvi) According to the 'knowledgeable persons' the implementation of the RPDS was unsatisfactory due to irregular distribution of foodgrains, high transport cost and inadequate subsidy, non-lifting of commodities regularly and timely, underweighment of supply/distribution, replacement of good quality commodities at stock points/delivery centres, non-adhering of quality and procedure in distribution and non-existence of Vigilance Committees.

खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति

1420. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन हेतु कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि का निवेश किया जाना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) सन् 1997 तक भारत की जनसंख्या के 941 मिलियन होने का अनुमान है। यह जनसंख्या 2007 तक बढ़कर 1102 मिलियन हो जाएगी। खपत स्तर में उल्लिखित सुधार और आय में वृद्धि होने के साथ इस जनसंख्या के लिए सन् 1997 और सन् 2007 के लिए क्रमशः 208 मिलियन मीटरी टन और 283 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मांग के इसी स्तर के अनुरूप खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ाया जाना है। 1997 और 2007 तक खाद्यान्नों के उत्पादन का अपेक्षित स्तर 210 मिलियन मीटरी टन और 285 मिलियन मीटरी टन है।

राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेंसियों के निकट सहयोग में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ प्राप्त हो सकें और उन्हें अपने उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्यों पर मजबूरन बिक्री न करनी पड़े। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन योजना के अधीन वसूली नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अनाज का सरकारी स्टाक तैयार किया जाए और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को उत्साहित किया जाए। केन्द्रीय पूल के लिए इस प्रकार वसूल किए गए खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए जारी किए जाते हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्य वसूल किए गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को पूर्णतया कवर नहीं करते हैं और इस खाते पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडि वहन की जाती है।

Rehabilitation, Educational and Vocational Centres for Child Labour

1421. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details of rehabilitation, educational and vocational centres